



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

कोतवाली जालौन क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुये पकड़े जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र कुशवाहा पुत्र अनन्तराम कुशवाहा निवासी ग्राम औरखी कोत० जालौन जनपद जालौन के विरूद्ध कोतवाली जालौन में मु०अ०सं० 03/16 (वाद संख्या - 09/16) धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 04.04.2024 को मा० न्यायालय एडीजी/एफटीसी/एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र कुशवाहा उपरोक्त को दोषी पाते हुये 01वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल रामलखन



कोर्ट पैरोकार सुबोध कुमार

@jalaunpolice

jalaunpolice

JalaunPolice